GCMS - 2025/189

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम....कोटा....

....सरकार....बनाम....सुमन....

किस्म मुक़दमा......136 L.R......नं. ......33......सन्....2025....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/4/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 30/4/2025 को पेश हो।	
30/4/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम गंगायचा के खाता संख्या 277 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 1040 दिनांक 26.11.2024 बेचान द्वारा क्रेता का नाम सुमन देवी पत्नी योगेन्द्र कुमार मीणा दर्ज हुआ जबकि सुमन देवी पत्नी योगेन्द्र कुमार मीणा हिस्सा 1/4 की एक प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 202403123117600 दिनांक 25.11.2024 में क्रेता सुमन देवी पत्नी योगेन्द्र कुमार मीणा दर्ज हुआ जिसमें क्रेता की दो बार एन्ट्री हो गई है जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के क्षेत्राधिकार का श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि ग्राम गंगायचा के खाता संख्या 277 भूमि पर क्रेता का नाम सुमन देवी पत्नी योगेन्द्र कुमार मीणा की प्रविष्टि को एक करने की कृपा करें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम गंगायचा के खाता संख्या 277 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 1040 दिनांक 26.11.2024 बेचान द्वारा क्रेता का नाम सुमन देवी पत्नी योगेन्द्र कुमार मीणा दर्ज हुआ जबकि सुमन देवी पत्नी योगेन्द्र कुमार मीणा हिस्सा 1/4 की एक प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्युटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम गंगायचा के खाता संख्या 277 पर दोहरी प्रविष्टि सुमन देवी पत्नि योगेन्द्र कुमार मीना हिस्सा 1/4 व सुमन देवी पत्नि योगेन्द्र कुमार मीना हिस्सा 1/4 के स्थान पर सुमन देवी पत्नि योगेन्द्र कुमार मीना हिस्सा 1/2 दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	